रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-7 2 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 1, 1974/माघ 12, 1895
No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 1974/MAGHA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February 1974

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Central Sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1974.

2. In the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (aa), the following clause shall be inserted, namely:—

"(aaa) 'company' means a company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and includes a foreign company within the meaning of section 591 of that Act;".

3. In rule 2 of the said rules, in clause (a) of sub-rule (1), the words and figures "incorporated under the Companies Act, 1956" shall be omitted.

4. In rule 12 of the said rules,—

(a) in sub-rule (1), in the first proviso, for the figures "1973", in the two places where they occur, the figures "1974" shall be substituted;

(b) in sub-rule (6), the following Explanation shall be inserted at the end, namely:—

"*Explanation.*—Where, by reason of the purchasing dealer not being registered under section 7 in the State in which the goods covered by Form 'C' referred to in sub-rule (1) are delivered, he is not able to obtain the said Form in that State, Form 'C' may be the one obtained by him in the State in which he is registered under the said section.";

(c) in clause (a) of sub-rule (8)—

(i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that where such person is a proprietor of any business or a partner of a firm or a karta or manager of a Hindu Undivided Family, any other person authorised by him in writing may also sign such declaration or certificate:";

(ii) in the second proviso, for the words, figures, brackets and letters "a company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the declaration in form 'C' or form 'F', the words "a company, such declaration or certificate" shall be substituted.

5. In Form 'A' appended to the said rules, in the foot-note relating to the filling in of the particulars specified in item 11 of the said Form, the words, figures and brackets "incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under any other law" shall be omitted.

6. In Form 'C' appended to the said rules, in each of the three parts marked as "Counterfoil", "Duplicate" and "Original", after the portion beginning with the words "Certified that the goods" and ending with the words and figures "under the Central Sales Tax Act, 1956", the following shall be inserted, namely:—

"** It is further certified that I/we am/are not registered under section 7 of the said Act in the State of in which the goods covered by this Form are/will be delivered."

[No. F. 28/53/73-ST]

O. P. MEHRA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी 1974

सा० का० नि० 26 (अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम 1957 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) (संशोधन) नियम 1974 है।

2. केन्द्रीय विक्रय-कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त) नियम 1957 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"(ककक)" "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथा परिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है और इसमें उस अधिनियम की धारा 591 के अर्थ में विदेशी कम्पनी भी सम्मिलित है ;"

3. उक्त नियमों के नियम 3 में उपनियम (1) के खंण्ड (क) में "कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन नियमित" शब्दों और अंकों का लोप कर दिया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 12 में —

(क) उपनियम (1) में प्रथम परन्तुक में अंकों " 1973" के स्थान पर दो स्थानों पर जहां भी वे आये हों अंक "1974" रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (6) में अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थातः—

"**स्पष्टीकरण**—जहां कोई क्रेता व्यवहारी उस राज्य में जिसमें उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररुप "ग" के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं परिदत्त की गई हों धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के कारण उस राज्य में उक्त प्ररुप प्राप्त न कर सके वहां प्ररुप 'ग' वह होगा जिससे उसने उस राज्य में जिसमें वह उक्त धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत है प्राप्त किया हो;"

(ग) उपनियम (8) के खण्ड (क) में —

(i) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा अर्थात् :—

"परन्तुक जहां ऐसा व्यक्ति किसी कराधान का स्वत्वधारी या किसी फर्म का भागीदार या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता या प्रबन्धक हो, वहां उसके द्वारा लिखित रुप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसी घोषणा या प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा" ;

(ii) द्वितीय परन्तुक में " कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित किसी कम्पनी की दशा में प्ररुप 'ग' में या प्ररुप "च" में घोषणा " शब्दों अंको कोष्टकों और अक्षरों के स्थान पर "किसी कम्पनी की दशा में ऐसी घोषणा या प्रमाणपत्र " शब्द रखे जाएंगे ।

5 उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररुप 'क' में उक्त प्ररुप की मद ii में विनिर्दिष्ट विशिष्टयों के भरे जाने से सम्बन्ध पाद-टिप्पण में " कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) या किसी अन्य विधि के अधीन निगमित " शब्दों अंको और कोष्ठकों का लोप कर दिया जाएगा ।

6. उक्त नियम से उपाबद्ध प्ररुप 'ग' में प्रत्येक तीनों भागों जिस पर " प्रतिपर्ण" "दूसरी प्रति" और "मूल" अंकित है में उस प्रभाग जो 'यह प्रमाणित किया जाता है कि' शब्दों के साथ प्रारम्भ होता है और 'रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अन्तर्गत आता है ' शब्दों और अंकों के साथ समाप्त होता है के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

" यह और प्रमाणित किया जाता है कि मैं हम राज्य में जिसमें इस प्ररुप के अन्तर्गत आने वाले माल परिदत्त किए गए हैं / जाएंगे उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हूं/है ।"

[सं० फा० 28/53/73-वि० क०]

ओम प्रकाश मेहरा, उपसचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974